रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8 1992 पौष 18, 1913
No. 4] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 1992/PAUSA 18, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 262 आई टी सी (पी एन)/90-93

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1992

विषय : विदेशी इक्विटी के मद्दे पूंजीगत माल का आयात।

फा.सं. आईपीसी 4/5/(172)/90-93.—आयात निर्यात नीति, 1990—93 के अनुसार जो पूंजीगत माल परिशिष्ट-1 (भाग-ख) में दर्शाए गए खुले सामान्य लाइसेंस में उल्लिखित हैं उसका आयात किसी विशेष लाइसेंस के बिना किया जा सकता है और जो गैर खुला सामान्य लाइसेंस पूंजीगत माल परिशिष्ट-1 (भाग क तथा ख) में उल्लिखित नहीं है उसके आयात की अनुमति एग्जिम स्क्रिप अथवा पूंजीगत माल प्रक्रिया के अंतर्गत जारी किए गए लाइसेंस के मद्दे दी जाती है। हाल ही में इस नीति में वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 194/आई टी सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 14 अगस्त, 1991 द्वारा ढील दी गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि अब नई यूनिटों और उन यूनिटों, जिनका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है, को आयात-निर्यात नीति, 1990-93 की प्रतिबंधित सूची (परिशिष्ट-1, भाग-क) में दर्शाए गए पूंजीगत माल से भिन्न पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस विज्ञापन प्रक्रिया के बिना, अनिवार्यता के प्रमाणीकरण के बिना, देशी उपलब्धता की दृष्टि से निकासी के बिना और संबंधित पूंजीगत माल समिति द्वारा अनुमोदन के बिना उन मामलों में स्वतः प्रदान किये जाएंगे जहां पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा इक्विटी द्वारा पर्णतः कवर की गई हो। विदेशी इक्विटी की इस योजना के अंतर्गत खुले सामान्य लाइसेंस की पूंजीगत माल को हालांकि बिना लाइसेंस के आयात किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेनी होगी।

2. इसमें और ढील देते हुए यह निर्णय किया गया है कि उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत तक विदेशी

इक्विटी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की योजना के तहत पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। विदेशी इक्विटी के मद्दे पूंजीगत माल के आयात की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दी जाएगी। पूंजीगत माल की सूची के साक्ष्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा सीमाशुल्क प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर और आयातक द्वारा इस आशय की स्वयं घोषणा करने पर कि आयातित पूंजीगत माल नया है, निकासी की अनुमति देंगे।

3. यह भी निर्णय किया गया है कि प्रतिबंधित पूंजीगत माल अर्थात् जो आयात-निर्यात नीति 1990—93 के परिशिष्ट-1 भाग-क में दर्शाया गया है उस विदेशी इक्विटी के मद्दे आयात करने की अनुमति भी खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत दी जाएगी।

4. विदेशी इक्विटी के मद्दे पूंजीगत माल का आयात केवल वास्तविक उपयोग के लिए होगा। तथापि आयातक द्वारा इस आशय की खुद घोषणा देना ही सीमाशुल्क कार्यालय/भारतीय रिजर्व बैंक के लिए पर्याप्त होगा।

5. इसे तर्कसंगत बनाने के उपाय के रूप में, पूंजीगत माल के आयात का भुगतान विदेश में विदेशी निवेशकर्ता द्वारा सीधे ही करने की अनुमति होगी। ऐसा भुगतान कंपनी की विदेशी इक्विटी में उसके योगदान के रूप में समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विनिमय की दर वही होगी जो विदेश में पूंजीगत माल के भुगतान की तारीख को प्रचलित हो। ऐसे मामले में आयातों तथा किए गए भुगतानों के ब्यौरे भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए जाएंगे।

6. आयात-निर्यात नीति 1990—93 (खंड-1) के अध्याय-3 में पैराग्राफ 43-क(1) वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना, संख्या 194-आई टी सी (पी एन)/90-93 दिनांक 14 अगस्त, 1991 द्वारा जोड़े गए) को निम्न प्रकार से संशोधित करके पढ़ा जाएगा :—

"पूंजीगत माल के आयात के लिए स्वतः स्वीकृति

नई यूनिटें और वे यूनिटें जिनका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है, खुला सामान्य लाइसेंस (परिशिष्ट-1, भाग-ख) के गैर खुला सामान्य लाइसेंस (गैर परिशिष्ट-1, भाग-क तथा ख) के, और प्रतिबंधित (परिशिष्ट-1, भाग-क) पूंजीगत माल का आयात लाइसेंस के बिना ऐसे मामले में जहां पूंजीगत माल का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा विदेशी इक्विटी द्वारा पूर्णतः कवर हो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर करने के लिए पात्र होगी पूंजीगत माल की सूची के साक्ष्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होगी और आयातक को इस आशय की स्वयं घोषणा सीमाशुल्क/भारतीय रिजर्व बैंक को देनी होगी कि आयातित पूंजीगत माल नया है और वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित है। आयातित पूंजीगत माल के लिए भुगतान विदेशी निवेशकर्ता द्वारा विदेश में सीधे ही करने की भी अनुमति दी जाएगी। ऐसे भुगतान को कंपनी की विदेशी इक्विटी में उसके अंशदान के रूप में समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विनिमय दर वही होगी जो विदेश में पूंजीगत माल के भुगतान की तारीख को प्रचलित हो। उपर्युक्त प्रावधान अनिवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी में भागीदारी के लिए पूंजीगत माल के आयात के भी लागू होंगे।"

7. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया गया है।

डी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 262-ITC(PN)/90—93

New Delhi, the 8th January, 1992

Subject : Import of capital goods against foreign equity

F. No. 1 PC/4/5(172)/90-93.—In accordance with the Import and Export Policy, 1990—93, Capital Goods which are on O.G.L. appearing in Appendix 1 (Part B) can be imported without a specific licence and non-OGL Capital goods not appearing in Appendix 1 (Parts A and B) are permitted to be imported against Eximscrip or a licence issued under the Capital Goods Procedure. Recently this Policy was liberalised vide Ministry of Commerce Public Notice No. 194-ITC(PN)/90-93 dated the 14th August, 1991, which inter-alia, provides that new units and units undergoing substantial expansion will automatically be granted licences for import of capital goods other than those appearing in the Restricted List (Appendix 1, Part A) of the Import and Export Policy, 1990-93, without advertisement procedure, without certification of essentiality, without clearance from indigenous availability angle as well as without approval of the concerned Capital Goods Committee in cases where foreign exchange for import of the capital goods is fully covered by foreign equity. Under this Scheme of foreign equity, OGL capital goods are also importable, though without a licence but with the clearance from the Reserve Bank of India.

2. By way of further relaxation, it has been decided to do away with the requirement of a licence for import of capital goods under the scheme of direct foreign investment upto 51 per cent foreign equity in high priority industries. Import of capital goods against foreign equity will be allowed under Open General Licence on the basis of the clearance given by the Reserve Bank of India. No attestation of the list of capital goods shall be required and the Customs authorities will allow clearance on the basis of the clearance by the Reserve Bank of India and a self-declaration from the importer that the capital goods imported are new.

3. It has also been decided that imports of Restricted capital goods i.e. those appearing in Appendix 1, Part A of the Import and Export Policy, 1990—93 against foreign equiy will also be allowed under

of INDI

Open General Licence.

4. Imports of capital goods against foreign equity will be only for actual use. However, a self declaration to this effect given by the importer to Customs/RBI will suffice.

5. As a measure of rationalisation, payment for import of capital goods may also be allowed to be made directly in the foreign country by the foreign investor. Such payment will be treated as his contribution to the foreign equity of the company. For this purpose the exchange rate will be the rate prevailing on the date of payment for the capital goods in the foreign country. In such a case details of imports and payment made shall be communicated to the Reserve Bank of India.

6. Paragraph 43-A(*i*) in Chapter III of the Import and Export Policy, 1990-93 (Volume I) (inserted by Ministry of Commerce Public Notice No. 194-ITC(PN)/90-93 dated the 14th August, 1991) shall be amended to read as under :—

"Automatic approval for Import of Capital Goods

43A(i) New units and units undergoing substantial expansion will be eligible to import OGL (Appendix 1—Part B), non-OGL (Non-Appendix 1—Parts A & B) and Restricted (Appendix 1—Part A) Capital Goods, without a licence on the basis of the clearance given by the Reserve Bank of India in case where foreign exchange for import of the Capital Goods is fully covered by foreign equity. No attestation of the list of capital goods shall be required and the importer will be required to give a self-declaration to the Customs/Reserve Bank of India that the imported capital goods are new and are required for actual use. Payment for imported capital goods may also be allowed to be made directly in the foreign country by the foreign investor. Such payment shall be treated as his contribution to the foreign equity of the company. For this purpose the exchange rate will be the rate prevailing on the date of payment for the capital goods in the foreign country. The above provisions will also be applicable in case of import of capital goods against equity participation by Non-resident Indians."

7. This has been issutd in public interest.

D. R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992